न्यायालय:अपर सेशन न्यायाधीश सं02 बयाना जिला भरतपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारी : प्रशांत शर्मा , आर.जे.एस.(डी.जे.कैडर)

मुतफर्रिक फौजदारी प्रकरण सं. : 56/2026

सी.आई.एस. नम्बर : 93/2026

01. विपुल कुमार पुत्र श्री सूरज कुमार, उम्र 20 साल, निवासी- नानकपुर रूपबास थाना रूपबास, जिला भरतपुर ।

--- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, सं02 बयाना।

................अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 48/2026 पुलिस थाना रूपबास अपराध अंतर्गत धारा 309(4) बीएनएस

उपस्थितिः

1- श्री बृजमोहन गुप्ता, अभिभाषक वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।

2- श्री ओमप्रकाश तिवाडी अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

-: आदेश :-

दिनांक: 24.03.2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से एक जमानत आवेदन पत्र उनके अधिवक्ता द्वारा अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई एवं पत्रावली को तलब कर अवलोकन किया गया।

02. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 29.01.2026 को प्रार्थी पुष्पेन्द्र सिंह ने पुलिस थाना रूपबास में उपस्थिति होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी है, कि दिनांक 28.01.2026 को शाम करीब 08.30 बजे वह रूपबास से बच्चों को पढाकर अपने गांव चैंकोरा जा रहा था, तो रास्ते में जीएसएस के आगे कचरा निस्तारण यंत्र के पास हनुमान मंदिर पर जाने वाले रोड के पास दो अज्ञात व्यक्ति मिले, जिन्होंने उसकी मोटससाईकिल को हाथ के इशारे से रूकवाया । उसने जैसे ही मोटरसाईकिल रोकी, तो एक व्यक्ति ने उसके सीने पर हथियार रख दिया तथा

दूसरे व्यक्ति ने उसके सामने की जेब में रखे करीब 7-8 हजार रूपये निकाल लिये तथा उसका मोबाईल वीवो-टी4 कम्पनी का, जिसमें दो सिम एयरटेल नंबर 9785312632 व जीओ कम्पनी नंबर 9414212632 की डली हुई थी, जिसका आईएमआई नंबर 865407076768234, 8654070768226 है तथा उसकी मोटरसाईकिल होण्डा ड्रीम योगा नंबर आरजे 05 एसएस 2408 को छीन कर ले गये ।...इत्यादि पर मु०नं० 48/2026 अपराध अंतर्गत धारा 309(4) बीएनएस में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

03. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 480 बीएनएसएस विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रूपबास द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.03.2026 से अस्वीकार कर खारिज किया गया है।

04. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त/प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठी व असत्य कहानी की रिपोर्ट के आधार पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त प्रकरण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है एवं वह दिनांक 15.03.2026 से पुलिस व न्ययिक अभिरक्षा में बन्द चला आ रहा है। प्रकरण में अभियुक्त/प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। आदेशानुसार जमानत मुचलका पेश करने को तैयार है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

06. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी व अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त पर सह-अभियुक्त के साथ मिलकर प्रार्थी पुष्पेन्द्र का रूपबास से बच्चों को पढाकर अपने गांव चैंकोरा जाते समय रास्ते में जीएसएस के आगे कचरा निस्तारण यंत्र के पास हनुमान मंदिर पर जाने वाले रोड पर उसकी जेब में रखे 7-8 हजार रूपये, मोबाईल वीवो-टी4 कम्पनी व मोटरसाईकिल नंबर आरजे 05 एसएस 2408 को लूटकर लूट कारित करने का गंभीर प्रकृति का

अपराध है । पुलिस थाना रूपबास द्वारा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 309(4) बीएनएस का आरोप प्रमाणित पाया गया है। समाज में इस प्रकार की लूट की घटनाओं में लगातार बढोतरी हो रही है, जिससे समाज में भय व डर का माहौल उत्पन्न होने से इंकार नहीं किया जा सकता है । यद्यपि अभियुक्त/प्रार्थी के विरुद्ध कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड अनुसंधान पत्रावली पर नहीं है, किन्तु मामले में अभियुक्त से लूटे गये मोबाईल की बरामदगी किया जाना प्रकट हुआ है । इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किये गये कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुये प्रकरण के इस स्तर पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त का कृत्य गम्भीर प्रकृति का दृष्टिगोचर होता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता को देखते हुए इस प्रकार के प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है ।

07. अतः प्रार्थी/अभियुक्त विपुल कुमार की ओर से प्रस्तत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(प्रशांत शर्मा)

08. आदेश आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया एवं सी०आई०एस० पर अपलोड किया गया ।

(प्रशांत शर्मा)